डाक/ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 13(7)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2023 जयपुर, दिनांक :

गेहूं आवंटन आदेश माह जुलाई, 2023
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1–4/2019–बी.पी.–III (ई–368491), दिनांक 16.12.2021 एवं विभागीय आदेश दिनांक 07/08.02.2019 तथा गाईडलाईन दिनांक 12.02.2019 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा PHH अन्य श्रेणी के राशनकार्डधारी लाभार्थियों को निःशुल्क पात्रतानुसार **माह जुलाई,2023** हेतु गेहूं का जिलेवार उप–आवंटन संलग्न **परिशिष्ट–1** के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न (गेहूं) उपलब्ध कराना अनिवार्य है। गेहूं का मासिक आवंटन दो श्रेणियों में निम्नानुसार किया जा रहा है :–

गेहूं आंवटन की श्रेणियां (Categories)		
श्रेणी	शीर्षक	दर
प्रथम	AAY, BPL & SBPL	निःशुल्क
द्वितीय	PHH (Others)	निःशुल्क

2– खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल व PHH अन्य श्रेणी" के पात्र परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक **17.05.2023** की अद्यतन संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन, ऑफलाईन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतदद्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

3– खाद्य विभाग (मुख्यालय) से जारी जिलेवार एवं प्रत्येक उचित मूल्य दुकानवार गेहूं के आवंटन आदेश के अनुरूप श्रेणीवार गेहूं के उठाव का रिलीज आर्डर (RO) जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। आवंटित गेहूं के जिला स्तर पर समय पर उठाव एवं उचित मूल्य दुकानों पर आपूर्ति की संयुक्त जिम्मेदारी जिला रसद अधिकारी एवं प्रबंधक,नागरिक आपूर्ति की होगी।

4– **माह जुलाई हेतु आवंटित गेहूं का उठाव दिनांक 01जून 2023 से प्रारम्भ किया जावें तथा दिनांक 30 जून तक शत–प्रतिशत उठाव किया जाना सुनिश्चित करें।**

5– खाद्य विभाग के पोर्टल पर भी गेहूं के आवंटन, उठाव एवं वितरण हेतु श्रेणीवार प्रविष्टियां संधारित की जाएगी।

6– उचित मूल्य दुकान को आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) मात्रा "सेन्ड टू पोस" हो जायेगी। ***जिला रसद अधिकारी/प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति संयुक्त रूप से आवंटित गेहूं की सम्पूर्ण मात्रा को पॉस मशीन में रिसीव कराया जाना सुनिश्चित करेगें। विसंगति की स्थिति में संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होगें।***

7– योजनान्तर्गत थोक विक्रेता (KVSS/MCS) एवं उचित मूल्य दुकान स्तर पर श्रेणीवार वितरित गेहूं के माहवार स्टॉक रजिस्टर के संधारण की व्यवस्था समुचित मार्गदर्शन देकर प्रारम्भ करवाये जाने हेतु पूर्व में दिये गये निर्देशों की पालना की जाए तथा संधारित रजिस्टर के सैम्पल जांच नियमित रूप से जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन स्टॉफ द्वारा किया जाए, ताकि अन्त्योदय, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल के लाभार्थियों को निर्धारित पात्रतानुसार गेहूं प्राप्त होने की पुष्टि हो सकें।

8– नवीन व्यवस्था अन्तर्गत श्रेणीवार वितरित गेहूं का माहवार स्टॉक रजिस्टर (Stock Register) उचित मूल्य दुकानदार द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन पोस पर परिलक्षित अनुसार ऑपनिंग एवं क्लोजिंग बैलेन्स स्पष्ट अंकित किया जाएगा। प्रतिदिन वितरण एवं अवशेष स्टॉक की मात्रा श्रेणीवार (अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं PHH अन्य) संधारित की जाएगी। स्टॉक रजिस्टर में श्रेणीवार प्रविष्ट मात्रा का मिलान पोस पर परिलक्षित मात्रा से होना आवश्यक है।

9– गेहूं वितरण की ग्राहक पर्ची (Beneficiary Reecipt) पोस मशीन से आवश्यक तौर पर जारी की जाएगी तथा प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी।

10– सप्लाई चैन मैनेजमेन्ट व्यवस्था अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानवार राशनकार्डो की संख्या के आधार पर गेहूं का आवंटन किया जा रहा है। अतः आवंटन के अनुरूप उठाव सुनिश्चित किया जाना जिला रसद अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। विशिष्ट परिस्थितियों में गेहूं के आंशिक समर्पण की आवश्यकता होने पर जिला रसद अधिकारी अपने स्तर से उचित मूल्य दुकानवार आवंटित मात्रा में कमी करते हुए उप आवंटन जारी करें।

11– ऑफलाईन वितरित किये गये गेहूं की आगामी माह की 15 तारीख तक पॉस मशीन/पोर्टल पर इन्द्राज एन्ट्री कराया जाना सुनिश्चित करें। विसंगति की स्थिति में संबंधित जिला रसद अधिकारी उत्तरदायी होगें।

12– खाद्य विभाग द्वारा एससीएम पोर्टल पर अंकितानुसार उचित मूल्य दुकानों के पास उपलब्ध अधिकतम समायोजन योग्य अवशेष स्टॉक को समायोजित कर आगामी माह का नवीन आवंटन जारी किया जाता है। इसके बावजूद अगर किसी उचित मूल्य दुकान पर एससीएम पोर्टल लागू होने से पूर्व का एनएफएसए अतिरिक्त गेहूं भौतिक रूप से उपलब्ध हो, तो जिला रसद अधिकारी अपने स्तर पर उक्त गेहूं का समायोजन कर मुख्यालय द्वारा जारी आवंटित मात्रा में कम करते हुए उप आवंटन किया जाना सुनिश्चित करें।

13– "वन नेशन वन राशनकार्ड" के तहत अन्य राज्यों के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से उचित मूल्य दुकानवार आवश्यक मात्रा का 02 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

14– **माह जुलाई 2023** के पेटे आवंटित खाद्यान्न के आवंटन/उठाव/वितरण हेतु विभाग द्वारा दिनांक 12.02.2019 को जारी की गई गाईडलाईन की समुचित पालना सुनिश्चित की जावें।
15– **माह जुलाई, 2023** हेतु आवंटित गेहूं का चयनित पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क वितरण कराया जावेगा।

विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) का उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें। *भारत सरकार द्वारा वैधता अवधि का विस्तार नहीं किये जाने बाबत निर्देश प्रदान किये गये है।*

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्ते पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

26/5/23

(अनीता मीना)
उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

क्रमांकःएफ 13(7)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2023 जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, खाद्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सहायक, उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग,राज.जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार(खाद्य)/उपायुक्त(प्रथम/द्वितीय), खाद्य विभाग,राज.जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
9. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य आपूर्ति निगम लि., जयपुर।
10. महाप्रबंधक(क्षेत्र), क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, नेहरू पेलेस, टोंक रोड, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि **खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न (गेहूं) के रिलीज आर्डर स्थानीय/ निकटतम एफ.सी.आई. गोदामों से जारी करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करावें।**
11. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., खाद्य विभाग, राज.जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि **उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रक्रिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द कराया जाना सुनिश्चित करें।**
12. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान/प्रबंधक, खाद्य आपूर्ति निगम, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि **आवंटित गेहूं का नियमित रूप से माह के प्रत्येक दिन पर्याप्त संख्या में ट्रकों की उपलब्धता करवाते हुए, उक्त योजना में समानुपातिक रूप से भारतीय खाद्य निगम के कार्य दिवसों में निर्धारित वैधता अवधि के दौरान आवंटित गेहूं का शत–प्रतिशत उठाव कराया जाकर एवं वितरण सुनिश्चित करावें। भारत सरकार के निर्देशानुसार वैधता अवधि का विस्तार नहीं किया जावेगा। उचित मूल्य दुकानवार चालान काटे जाने की प्रकिया पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन के पश्चात् बन्द करदी जावेगी। अतः निर्धारित वैधता अवधि में शत–प्रतिशत मात्रा का उठाव कर उचित मूल्य दुकानवार चालान काटा जाना सुनिश्चित करें।**
13. सिस्टम एनालिस्ट (खाद्य) को प्रेषित कर लेख है कि जनआधार प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अंकित कार्मिकों को ई–पोस से वितरण पर रोक लगाये जाने के लिए सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें तथा ऑफलाईन उचित मूल्य दुकानों द्वारा किये गये वितरण का पार्टल पर इन्द्राज कराने हेतु आगामी माह की 15 तारीख तक ऑप्सन खुलवाने की कार्यवाही करें।
14. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग को सभी संबंधित को ईमेल एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

26/5/23

उपायुक्त एवं उपशासन सचिव

पाराशिष्ठ-01

NFSA Regular Wheat Allotment July-2023

Sr. No.	District	Category wise Net allotment				Final Allotment (M.T.)
		Net NFSA AAY Allotment (M.T.)	Net NFSA BPL Allotment (M.T.)	Net NFSA SBPL Allotment (M.T.)	Net NFSA APL Allotment (M.T.)	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Ajmer	653.887	980.337	409.827	6354.130	8398.181
2	Alwar	675.429	1406.354	493.061	9382.424	11957.268
3	Banswara	1599.749	2572.786	766.552	3122.688	8061.775
4	Baran	1673.858	920.486	202.582	2892.978	5689.904
5	Barmer	826.478	2545.483	395.374	5965.280	9732.615
6	Bharatpur	519.916	1472.296	346.333	6070.120	8408.665
7	Bhilwara	885.997	1665.609	545.742	4882.166	7979.514
8	Bikaner	407.223	2074.284	456.220	3708.564	6646.291
9	Bundi	451.679	742.477	217.727	2730.917	4142.800
10	Chittaurgarh	931.503	942.541	598.334	2479.134	4951.512
11	Churu	794.639	1937.357	402.753	3906.427	7041.176
12	Dausa	333.365	1079.121	161.996	3901.077	5475.559
13	Dhaulpur	307.373	691.030	146.582	3208.976	4353.961
14	Dungarpur	1110.868	2630.708	361.277	2309.903	6412.756
15	Ganganagar	426.976	1449.397	164.872	4365.057	6406.302
16	Hanumangarh	474.636	1056.662	184.999	3518.254	5234.551
17	Jaipur	468.234	1704.570	544.549	13286.969	16004.322
18	Jaisalmer	228.758	484.992	121.095	1320.554	2155.399
19	Jalor	750.063	1562.306	335.915	3569.454	6217.738
20	Jhalawar	551.463	1169.366	289.830	3471.201	5481.860
21	Jhunjhunun	342.548	598.451	230.158	6200.305	7371.462
22	Jodhpur	295.299	1831.538	206.647	8320.131	10653.615
23	Karauli	549.653	1473.165	271.109	2539.360	4833.287
24	Kota	323.316	1113.767	170.782	3219.851	4827.716
25	Nagaur	608.918	1460.175	393.343	9882.425	12344.861
26	Pali	669.754	1432.460	375.399	4604.572	7082.185
27	Pratapgarh	523.233	1154.502	283.739	1752.854	3714.328
28	Rajsamand	678.947	1046.806	284.579	2784.779	4795.111
29	Sawai Madhopur	537.993	898.943	315.850	2917.842	4670.628
30	Sikar	291.246	828.365	178.635	7438.110	8736.356
31	Sirohi	356.839	639.247	203.214	2764.497	3963.797
32	Tonk	552.853	879.854	357.046	3258.736	5048.489
33	Udaipur	1740.787	3884.693	827.549	5104.361	11557.390
	Total	**21543.480**	**46330.128**	**11243.670**	**151234.096**	**230351.374**